राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— एफ.2 (क) (S-340) अलेसे— I/ 1087 दिनांकः—23/1/2017

विज्ञप्ति

श्री सांवरमल शर्मा,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड— I,
पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,
ए—69, श्रीरामनगर ए झोटवाड़ा,
जयपुर।

विषयः— स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने बाबत्।

विभागीय आदेश क्रमांक 558 दिनांक 09.08.2016 के द्वारा आपको दिनांक 04.08.2016 से आदेशों की प्रतीक्षा में लेते हुए कार्यालय उपकोषाधिकारी, दूदू (जयपुर) में उपस्थिति देने एवं अग्रिम आदेशों तक वही नियमित कार्य करने के निर्देश दिए गये थे। इसके पश्चात् पुनः विभागीय आदेश संख्या 74/2016—17 दिनांक 09.08.2016 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा से आपका पदस्थापन कार्यालय उपकोषाधिकारी, दूदू (जयपुर) में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड— I के रिक्त पद पर किया गया था। इस आदेश की अनुपालना में अविलम्ब नवपदस्थापन कार्यालय में आपको कार्यग्रहण करना था, किन्तु पॉच माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी आपने अभी तक नवपदस्थापन कार्यालय (उपकोषालय, दूदू) में कार्यग्रहण नहीं किया। इस संबंध में आपको जारी कारण बताओ नोटिस विभागीय पत्र क्रमांक 922 दिनांक 15.12.2016 के द्वारा आपके निवास के पते पर भिजवाया गया था तथा पुनः पत्र क्रमांक 1041 दिनांक 12.01.2017 के द्वारा पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के अंदर कार्यग्रहण कर सूचित करने हेतु लिखा गया था, लेकिन इस विज्ञप्ति के जारी होने तक आपने कार्यग्रहण नहीं किया है।

अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप विज्ञप्ति प्रकाशन के 05 दिवस के अन्दर अपने नवपदस्थापन कार्यस्थल पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें एवं अनुपस्थित रहने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा आपको स्वेच्छा से अनुपस्थित मानते हुए राज्य सेवा से पृथक करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(पंकज पाटनी)
निदेशक